न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00296 (174/2018) 225 आरटीएक्ट

जुगराजसिह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख साकिन सरावॉवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. जीतसिंह पुत्र चन्दसिंह
2. कश्मीरसिह पुत्र सुखदेव सिह
3. गुरदेव कौर पत्नी मेजरसिह
4. बलकरणसिंह पुत्र. मेजर सिह
5. गुरमीतसिह पुत्र गुरमेल सिह
6. इकबाल सिह पुत्र गुरमेल सिह

(1 से 6) जाति जटसिख, साकिन सरावॉवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

7. जरिये शाखा प्रबन्धक ओबीसी बैंक शाखा प्रबन्धक पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
8. जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9. जरिये शााखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

–रेस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध आदेश दिनांक 25.05.2018 सहायक कलक्टर पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ प्रकरण संख्या 11/2015 बअनवानी जीतसिंह बनाम जुगराज आदि

उपस्थितः–

श्री गुरमेल सिह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4

श्री जगतार सिंह रेस्पोडेण्ट संख्या 8 व 9

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः–09.05.2019

1. सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1व 2 /प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर चक 9 एलजीडब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 28/288 मु. नं. 3 के किला नं. 1 ता 5 में रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा, जो विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपपक्ष अभिभाषक गण की बहस सुनी गई

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प. नं. 28/288 के किला नं. 1 ता 5 में कोई रास्ता मौके पर नहीं चला रहा है। पत्थर नं. 28/288 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व पत्थर प. नं. 28/289 के किला नं. 1, 2, 3 कश्मीरसिंह के हैं व पत्थर नम्बर 28/288 किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 व प. नं. 28/289 के किला नं. 9, 12, 19, 22 जीत सिह के हैं। पत्थर नं. 27/289 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्व से ही स्वीकृतशुदा रास्ता हैं जो इनकी भूमि को लगता है, जो पत्थर नं. 28/289 के किला नं. 1, व 28/288 के किला नं. 21 को टच करता है। प. नं. 28/288 का किला नं. 1 रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 का है और नहर से लगता है। नहर के दोनों तरफ रास्ता भी लगता है, जो नहर के साथ साथ कृषक रास्ते का उपयोग करते है। अपीलाण्ट को खुद के किला नं. 4 प. नं. 28/288 में से स्वीकृत रास्ते का कोई प्रतिफल नहीं दिया, जिसमें अपीलाण्ट का कमरा बना हुआ है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से ही अन्य रास्ते उपलब्ध हैं, इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. अधीवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने बहस कर कथन कियाकि मु. नं. 3 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 हेतु कोई रास्ता रेस्पोडेण्ट को उपलब्ध नहीं है। किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 कश्मीर सिंह के हैं, जिसने किला नं. 1 को रास्ता दिये जाने हेतु कोई आपत्ति पेश नहीं की है। इस मुरबा के किला नं. 5 के उत्तरी पूर्वी कौने में पूर्व दिशा में पक्की सड़क है। जिससे आवागमन किला नं. 1 ता 5 में से रास्ता स्वीकृत होने पर ही हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुरबा नं. 10 के किला नं. 21 ता 24 में भी अन्य पत्रावली संख्या 17/2016 में रास्ता स्वीकृत किया है, जो जुगराजसिंह की भूमि में जाता है। परन्तु अपीलाण्ट को किला नं. 21 ता 24 का रास्ता मु. नं. 3 में स्थित भूमि के लिए नहीं लगता है। अपीलाण्ट ने किला नं. 4 में कोठे का निर्माण रास्ता को अवरूद्ध करने की नियत से किया है, जिसकी मौका रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है। अपील अपीलाण्ट निराधार प्रस्तुत की गई है एवं जो रेस्पोडेण्ट संख्या 4 की तरफ से क्रास आब्जेक्शन पेश हुआ है वह भी आज दिनांक 18.04.2019 को प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर है। अतः वह प्रार्थना–पत्र भी खारिज किया जावे अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत होने से यथावत रखा जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने क्रॉस आब्जेक्शन में अंकित तथ्यों को दोराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र गलत रूप से स्वीकार किया है बलकरणसिंह मुझ रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने दुर्भि संधी कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। राजस्व कैम्प में मात्र. राजीनामा के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। विवादित प्रकरण न्यायालय के समक्ष ही पक्षकारों को सुनकर निर्णित होते हैं। स्वीकृत रास्ते के बदले

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई प्रतिफल रेस्पोडेण्ट को नहीं दिलाया गया। रिपोर्ट भी मय नक्शा प्राप्त नहीं की गई। निकटतम रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए था। प्रश्नगत रास्ता किसी मंजूरशुदा रास्ते से नही मिलता है। पु. नं. 28/288 किला नं. 1 नहर से चिपता है और नहर की पटरी पर अर्सा दराज से चालू है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे एवं क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2004 पेज 9, आरआरटी 2016–17 पेज 566, आरआरटी 2016 (1) पेज 649 व पेज 440, आरआरडी 2014 (1) पेज 40 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 7 ता 10 के अधिवक्तागण ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
7. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा चक 9 एलजीडब्ल्यू के प. नं. 28/288 के किला नं. 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत कर किला नं. 4 में स्वीकृत किये गये रास्ते में से अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बनाया गया कमरा व अन्य जो भी बाधा कारित की गई है। एवं स्वीकृत किये गये रास्ते में किसी प्रकार की कोई बाधा है तो तहसीलदार पीलीबंगा को हटवाये जाने का आदेश देते हुए अभिलेख में अंकन किये जाने का आदेश दिया है, जिसका मुख्य आधार यह लिया है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने सम्बन्धित रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा है, परन्तु रिपोर्ट के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत रास्ता को किला नं. 1 का काश्तकार कश्मीरसिंह व किला नं. 3 गुरमीतसिंह, इकबाल सिंह ने इस रास्ता को स्वीकृत करने में अपनी असहमति बताई है। अपील बहस में यह तथ्य आये हैं कि अपीलाण्ट जुगराजसिंह द्वारा चक 9 एलजीडब्ल्यू के पं. 28/289 किला नं. 21 ता 24 में से 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत हेतु एक अन्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो प्रकरण संख्या 17/2016 पर दर्ज हुआ जिसमें दिनांक 25.05.2018 को ही रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस कारण मौजूदा अपील के द्वारा प्रकरण संख्या 11/2015 में स्वीकृत किये गये किलां नं. 1 ता 5 के रास्ते को निरस्त की इस्तदुआ चाही है, परन्तु अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रकरण संख्या 17/2016 में पारित आदेश से स्वीकृत किये रास्ते का मौजूदा प्रकरण में कोई उल्लेख नहीं किया जबकि पत्थर नम्बर 28/288 एवं पत्थर नं. 28/289 में रास्ता स्वीकृत के सम्बन्ध में मुख्य रूप से अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने भी विवाद उत्पन्न किया है, जिसका एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि कुछ काश्तकारान की दोनों रास्तों पर भूमि लगती है। प्रकरण संख्या 11/2015 व प्रकरण संख्या 17/2016 में एक ही दिनांक 25.05.2018 को निर्णय पारित किया गये हैं गये हैं एवं रास्ते में आई भूमि के बदले कोई प्रतिफल दिये जाने बाबत भी कोई आदेश पारित नही किया गया है। उक्त परिस्थतियों के मद्देनजर विचारण न्यायालय द्वारा प. नं. 28/289 के किला नं. 21 ता 24 में स्वीकृत किये रास्ते जो प्रकरण संख्या 17/2016 शीर्षक जुगराज सिह बनाम जीतसिंह पर बिना विवेचन किये हुए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कारण पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न होना प्रतीत होता है जबकि दोनों प्रकरणों को कंसोलीडेट करते हुंए रास्ता संबंधी विवाद का निपटारा किया जाना चाहिए था। इसलिए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार यौग्य बनती है एवं अपीलाधीन निर्णय काबिल अपास्त बनता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 25.05.2018 प्रकरण संख्या 11/2015 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण 17/2016 अनवानी जुगराजसिह बनाम जीतसिह एवं प्रकरण संख्या 11/2015 अनवानी जीतसिंह बनाम जुगराजसिह को कंसोलीडेट करते हुए प्रकरण में रास्ते की आवश्यकता और दोनों रास्तों की औचित्यता को मद्देजनर रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.06.2019 को उपस्थित हों। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.5.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09/05/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official